न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशित:– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
151/22	31.08.2022	19.10.22

उनवान

1. बीरूसिंह पुत्र फूलासिंह कोम लभाना सिक्ख निवासी मूसाखेड़ा तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर।

:– प्रार्थी

बनाम

1. इंदरसिंह पुत्र बस्सूसिंह लभाना सिक्ख
2. बिज्जूसिंह पुत्र फूलासिंह लभाना सिक्ख
3. मोहनलाल पुत्र हरदयाल जांगिड़
4. सुनीता कौर पत्नी बलविन्दर सिंह लभाना सिक्ख
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरदयाल जागिड़ निवासीयान मूसाखेड़ा
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब किशनगढ़बास जिला अलवर।

:– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति:–1. प्रार्थी की ओर से श्री खेमचन्द धामाणी वकील।

2. प्रतिवादीग सं0 1,3,5 की ओर से श्री बालकृष्ण वकील

3. प्रतिवादी सं0 5 की ओर से श्री अजयकृष्ण वकील ।

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रस्तुत वादपत्र शपथ–पत्र नकल जमाबंदी से प्रार्थी का प्राइमापेसी केस आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की सामलात खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिसका राजस्व रिकॉर्डस में अंकन हो रहा हे। . विवादित आराजी अबट आराजी है जिसका आज तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कोई विभायजन नहीं हुआ है बल्कि हर हिस्सेदार अपने हिस्सेमुता बिक शामलात में काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

अप्रार्थीगण 1 ल0 5 लडाका मुठमर्द हैं जो कि कानून कायदे की परवाह नहीं करते हैं और वादी को उसके सामलात 3/55 भाग से जब्रन बेदखल करना कब्जा करना वो अबट आराजी के अमुक भाग पर तामीरात करना वो दीगर लोगों को मुन्तकिल करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई हक हासिल नहीं है। 25/8/2022 को तकासमा करने से इन्कार करते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

हुये धमकी दी है यदि वो अपनी इस बेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो प्रार्थी को हर सूरत में नापूर्ती होने वाली क्षति होगी।

प्रार्थी आराजी का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार है। सामलात में काबिज है। सुबट आराजी है। सुविधा का संतुलन बहक प्रार्थी है।

प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान के अधिकार क्षेत्र में सुनने योग्य है जिस पर 1 रू कोर्ट फीस है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण 1 ल0 5 को जरिए हुक्मइम्तनाई चंदरोजा पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी ख0नं0 934/0.2400हे0, 935/0.1000, 936/0.1000 किता 3 रकबा 0.4400हे0 वाके ग्राम मूसाखेड़ा तहसील किशनगढ़बास के सामलात 3/55 भाग से प्रार्थी को बेदखल न करें ना काश्त कार्य में रूकावट करें। ना अबट आराजी के किसी भाग पर तामीरात करकें ना किसी भाग को दीगर जगह रहन बय हिबा वसीयत लीज आदि से मुन्तकिल करें। हलफनामा पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 4 की ओर जवाब पेश किया । प्रतिवादी तथा प्रतिवादी सं0 2 की एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। शेष अप्रार्थीगण सं0 1,3,5 की ओर से जवाब पेश ना कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान को बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी वकील ने जबाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज जमाबंदी संवत में प्रार्थी आराजी विवादित में सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पक्षकरान का आपस में बटवारा नही हुआ है विवादित आराजी सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण ने कब्जा होना तो बताया है लेकिन किस तरफ किस दिशा में है ऐसा कुछ अपने जवाब मे अंकित नही किया । इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। अगर विवादित आराजी का विक्रय अप्रार्थीगण ने कर दिया तो प्रार्थी को नापूर्ति क्षति होगी एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी होगी जिसका नुकसान प्रार्थी को होगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में होना साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दावा के फैसला होने तक इस अमर से पाबंद किया जाता है वो विवादित आराजी ख0नं0 934/0.2400हे0, 935/0.1000, 936/0.1000 किता 3 रकबा 0.4400हे0 वाके ग्राम मूसाखेड़ा तहसील किशनगढ़बास के मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील लेख भण्डार हो खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करेंगें

फैसला आज दिनांक 19.10.22 को मेंरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)